## केंद्रीय मुहर विभाग -2

संदर्भ:कें.मु.वि-2/जी-73/16: 14543

07 07 2020

विषय: आईएस 14543 : 2016 के अनुसार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (प्राकृतिकखनिज पानी के अलावा) के लिए संशोधित उत्पाद मैनुअल (संशोधन संख्या 5 को शामिल करते हुए)

- 1. इसमें उपर्युक्त विषय का संदर्भ है।
- 2. आईएस 14543: 2016 के लिए अनुमोदित संशोधित उत्पाद नियमावली बीआईएस वेबसाइट पर "अनुरूपता मूल्यांकन → उत्पाद प्रमाणन → उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश → उत्पाद मैनुअल" के तहत होस्ट की गई है ।
- 3. सभी शाखा कार्यालयों को इस उत्पाद नियमावली जिसमें संशोधित SIT शामिल है, को सभी लाइसेंसधारियों और आवेदकों को 7 दिनों के भीतर भेजने की सलाह दी जाती है,। उत्पाद नियमावली में शामिल की गई एसआईटी को 07 सितंबर 2020 से लागू किया जाएगा।

(अदाने खासी) वैज्ञानिक सी

प्रमुख,(कें.मु.वि.-2) उप महानिदेशक (प्रमाणन) क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय को intranet माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि: ITS - इंट्रानेट् पर अपलोड करने के लिये

## **CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 14543 07 07 2020

Subject: Revised Product Manual for Packaged Drinking Water (other than natural mineral water) according to IS 14543: 2016 (Incorporating Amendment No. 5)

- 1. This has reference to the subject mentioned above.
- 2. The approved revised Product Manual for IS 14543 : 2016 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines → Product Manual".
- 3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates modified SIT to all Licensees and Applicants within 7 days. The SIT which has been incorporated in the Product Manual shall be implemented from 07 Sept 2020.

Adane Khrasi Sc. C

Head (CMD 2)
DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet

**Copy to: ITS for hosting on Intranet**